

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- ४००२ / ११-सी-FP/UP/Min/47074/2020, लखनऊ, दिनांक: जून २८, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:-

जनपद—सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में भै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अंतर्गत 294.082 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अंतर्गत 50.606 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ३० वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

प्रस्ताव सं0:- FP/UP/Min/47074/2020

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक—4933 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 18.06.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 22.06.2021 को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में रथलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु रथलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा पैरा-(a) में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का जल्लेरव है, जबकि पैरा-(b) में उल्लंघन किये जाने का उल्लेख है, जोकि विरोधाभाष है। अतः रिथित स्पष्ट कर सही रथलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail एवं क्रमांक-15 में पूर्व का डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-221 पर संलग्न किये गये लीज अवधि प्रमाण पत्र में लीज अवधि 30 वर्ष का उल्लेख है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 के क्रमांक-A(X) में अवधि 10 वर्ष फीड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान अवधि का उल्लेख कर सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु संलग्न सूची के सारांश में व्यास वर्ग गलत अंकित किया गया है। अतः ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार सही व्यास वर्ग में वैज्ञानिक नाम सहित सारांश प्रस्ताव में संलग्न करें तथा Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
4. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
5. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/11-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में वृक्षारोपण रथल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र, जो मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं किया गया है।
6. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व, वनभूमि का क्षेत्रफल एवं गणना गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व, वनभूमि का क्षेत्रफल एवं सही गणना अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न मीरजापुर वन प्रभाग से सम्बन्धित 191.218 हे0 गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण के प्राक्कलन में सेन्टेज चार्ज लिया गया है, जबकि कैमूर वन्यजीव प्रभाग से सम्बन्धित 32.926 हे0 गैर वनभूमि एवं ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित 121 हे0 अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण के प्राक्कलन में सेन्टेज चार्ज नहीं लिया गया है। अतः परीक्षण कर सही प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करें तथा पूर्व का प्राक्कलन ऑनलाइन से डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग में 235.737 हे0 गैर वनभूमि दी जा रही है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न मीरजापुर वन प्रभाग से सम्बन्धित उपयुक्तता प्रमाण पत्र में 191.218 हे0 गैर वनभूमि का ही उल्लेख किया गया है, जोकि अपूर्ण है। अतः संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का डिलिट कर संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करें।
9. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित रथल चिह्नित नहीं है। अतः चिह्नित गजट नोटिफिकेशन ऑनलाइन अपलोड करें।

10. प्रस्तावित स्थल कैमूर वन्यजीव विहार Eco Sensitive Zone की परिधि से सटा हुआ एवं बाहर है, किन्तु कैमूर वन्यजीव विहार से सम्बन्धित Eco Sensitive Zone का गजट प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
11. ऑनलाइन भाग-2 के District Profile में जिले का बन क्षेत्र एवं अन्य विवरण गलत फीड किया गया है।
अतः हार्डकापी भाग-2 के अनुसार एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग-2 में फीड करें।
12. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में Tree for Tree and land for land के अंतर्गत जनपद-सोनभद्र के ओबरा बन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 121 हेठो अवनत वनभूमि का चयन कर के ०एम०एल०, फाइल (Blank) अपलोड की गयी है, किन्तु 121 हेठो अवनत वनभूमि के Present owner file में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र में दुगने अवनत वनभूमि का उल्लेख है तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत सही प्रमाण पत्र अपलोड करें।
13. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में अपलोड किया गया प्रभागीय वनाधिकारी का संस्तुति पत्र ओपन (open) नहीं हो रहा है। अतः पुनः अपलोड करें।
14. ऑनलाइन भाग-1 के क्रमांक-L (f), (g), (h) में 121 हेठो अवनत वनभूमि के Present owner file में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र में दुगने अवनत वनभूमि का उल्लेख है तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत सही प्रमाण पत्र अपलोड करें।
15. प्रस्ताव में मेठोल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड के नाम से प्रस्तावित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु Approved Mining Plan संलग्न नहीं किया गया है।
अतः कृपया किसी कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियों प्राप्त कराकर, इंगित कर्मियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य बन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उठोप्र०, लखनऊ।

संख्या- ५००२ /११-सी-FP/UP/Min/47074/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा/मीरजापुर/कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
- सी0ओ0ओ0, मेठोल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, यूनिट-डाला सीमेन्ट वर्क्स, एस०एच०-५ पोस्ट-डाला, जनपद-सोनभद्र।

E.D.S.

पारंक ६०६३ /१०७) ३३३० फ्ल. २१ २०२१

18/२८/६/२१

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य बन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उठोप्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि द्वारा द्वारा, श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

कृष्ण कर्म लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड

लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड

प्रतिलिपि द्वारा, श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

८२